तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
21.1.2026	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री समीर अहमद खान, अभिभाषक प्रार्थी। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 सपठित धारा 221 के अंतर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा प्रकरण सं. 02/3/2023 में पारित आदेश दिनांक 5–1–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अप्रार्थी सं.1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रामगढ के समक्ष खातेदारी घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 5–1–23 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के बाबत् सायल के कब्जेकाश्त में रूकावट व मजाहमत नहीं करने एवं मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अंतरिम आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने आदेश दिनांक 17–5–23 से अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के प्रचलन को स्थगित कर दिया। जिसके विरूद्ध मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर मंडल द्वारा निगरानी ग्राहयता के स्तर पर आंशिक स्वीकार करते हुये अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17–5–23 को निरस्त करते हुये उपखंड अधिकारी रामगढ को धारा 212 के प्रार्थना पत्र को एक माह में निस्तारित करने के आदेश दिये किंतु आज दिनांक तक मंडल के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश को लम्बा समय हो चुका है तथा आदेश 39 नियम 3 ए सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पूर्व में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना आज्ञापक है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।	

3. अधिवक्ता प्रार्थी की बहस निगरानी की ग्राहयता के प्रश्न पर सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी सं.1 द्वारा एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रामगढ के समक्ष खातेदारी घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय उपखंड अधिकारी रामगढ ने आदेश दिनांक 5–1–23 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के बाबत् सायल के कब्जेकाश्त में रूकावट व मजाहमत नहीं करने एवं मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अंतरिम आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध हस्तगत् निगरानी प्रस्तुत की गई है। न्यायालय उपखंड अधिकारी रामगढ ने सायल के कब्जेकाश्त में रूकावट व मजाहमत नहीं करने एवं विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के अंतरिम आदेश पारित करते हुये पत्रावली में आगामी तारीख नियत की है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश पूर्णतः अंतरिम आदेश की श्रेणी का है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मूल स्थगन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है। अतः अंतरिम आदेश दिनांक 5–1–23 निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत् निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. निष्कर्षतः हस्तगत् निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज की जाती है। न्यायहित में न्यायालय उपखंड अधिकारी रामगढ को निर्देश दिए जाते हैं कि आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना कर एकपक्षीय जारी अंतरिम स्थगन आदेश व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर यथासंभव एक माह में विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्ष न्यायालय उपखंड अधिकारी रामगढ के समक्ष प्रकरण में वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं दिनांक 28–1–26 को उपस्थित होंवे। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

निगरानी / टी.ए./3053/ 2024/ अलवर
फजरूदीन बनाम हाकम दीन